बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ०सं0 :– 2/अ0प्र0–1–51/2023 73 /पटना, दिनांक :– 11.2.25

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 569 अनु0 दिनांक 27.01.2023 द्वारा श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के विरूद्ध अस्थायी अग्रिम योजना का समायोजन नहीं करने, अधूरे कार्य के लिये पूर्ण कार्य का लेखा समर्पित कर भुगतान प्राप्त करने, वसूलनीय राशि का जमा करने हेतु निदेशित करने के बावजूद अबतक राशि जमा नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिये आरोप–पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराते हुये अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. योजना एवं विकास विभाग द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 623 अनु0 दिनांक 23.03.2023 के द्वारा श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुये गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु इनके विरूद्व संलग्न आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया।

3. श्री झा के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 37 दिनांक 09.05.2023 द्वारा श्री भगवत राम, तदेन मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 ,ग्रामीण कार्य विभाग, को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया था। वर्त्तमान मे श्री भगवत राम, तदेन मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रोन्नति हो जाने एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग के सेवानिवृत हो जाने के उपरांत इनके स्थान पर श्री कुमार राजीव रंजन, अधीक्षण अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, PMGSY को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया है। साथ हीं श्री झा दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत हो चूके हैं।

अतः श्री झा के विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(B) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है। साथ हीं श्री झा के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री कुमार राजीव रंजन, अधीक्षण अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, PMGSY को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता(निर्माण एवं गुणवत्ता) को विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

10/2/25
(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in Office order

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2023 1813(7) /पटना, दिनांक :– 11.2.25

प्रतिलिपि :– आरोप–पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री कुमार राजीव रंजन, अधीक्षण अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, PMGSY–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2023 1813(3 /पटना, दिनांक :– 11.2.25

प्रतिलिपि :– आरोप–पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री विरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता) –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी , ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4/श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, योजना एवं विकास विभाग सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा से सेवानिवृत / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को निदेश है कि श्री बिजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, योजना एवं विकास विभाग सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा से सेवानिवृत कनीय अभियंता को पत्र तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10/2/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2023 1813 /पटना, दिनांक :– 11.2.25

प्रतिलिपि :– आईटी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/2/25
अवर सचिव

परिशिष्ट–1

आरोप–पत्र प्रारूप

(1) प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1. नाम	:–	श्री बिजेन्द्र झा
2. पदनाम	:–	कनीय अभियंता
3. जन्म तिथि	:–	10.10.1964
4. सेवानिवृति की तिथि	:–	31.10.2024
5. सेवा / संवर्ग का नाम	:–	बिहार अवर अभियंत्रण सेवा
6. पद समूह एवं विभाग	:–	'ख' (अराजपत्रित), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
7. वरीयता क्रम / सिविल लिस्ट क्रमांक	:–	....
8. वेतन बैंड एवं ग्रेड पे / वेतन स्तर	:–	वर्तमान 7वाँ वेतर स्तर
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–	2014-15, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बीं के तहत कालबाधित होने की तिथि	:–	लागू नहीं

(रणजीत कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

(2) द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. श्री बिजेन्द्र झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बाँका द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा में पदस्थापन अवधि में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत मधेपुरा विधानसभा अन्तर्गत अनुशंसित योजनाओं (वित्तीय वर्ष 2014–15) का बिना कार्य पूर्ण किये अपूर्ण कार्य को मापी पुस्त में पूर्ण दर्शा कर पूर्ण कार्य का भुगतान प्राप्त किया गया जो घोर वित्तीय अनियमितता है।

   श्री झा का इस कृत्य से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक 948 दिनांक 16.07.1986 के प्रावधान 7.6 तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम–276(ख) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

2. श्री झा, कनीय अभियंता के पत्रांक शून्य दिनांक 22.02.2022 में यह अभिकथित है कि उन्हें श्री अक्षयवर राम, तत्कालीन सहायक अभियंता से कोई अग्रिम प्राप्त नही हुआ है। इसके विपरीत अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सहरसा की अध्यक्षता में गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित है कि श्री अक्षयवर राम, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा लिया गया संपूर्ण अग्रिम की राशि तत्कालीन कनीय अभियंताओं को दे दिया गया है, जिसमें से रू0 52,69,170/– (बावन लाख उनहत्तर हजार एक सौ सत्तर रूपया) तत्कालीन कनीय अभियंता श्री बिजेन्द्र झा के नाम लंबित है। इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विपत्रों एवं मापी पुस्त में Paid by me अंकित करते हुए श्री झा द्वारा राशि का भुगतान किया गया है। अर्थात श्री झा द्वारा अग्रिम की राशि प्राप्त की गयी है।

3. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सहरसा के जाँच प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त कार्य के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्तमान में कुल रू0 27,24,244/– (सत्ताईस लाख चौबीस हजार दो सौ चौवालीस रूपया) की आवश्यकता है।

   श्री झा के कपटपूर्ण कृत्य से उक्त राशि के समतुल्य सरकार को वित्तीय क्षति संभावित है जिसके लिए बिहार वित्त नियमावली के नियम–34 के अनुसार श्री झा उत्तरदायी है।

4. श्री झा, कनीय अभियंता द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों के निदेश की लगातार अवहेलना करते हुए अग्रिम का समायोजन नही किया गया और वसूलनीय राशि भी जमा नही की गई है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा इस संदर्भ में कोई पत्राचार भी नहीं किया गया, जिससे श्री झा द्वारा वित्तीय गबन किये जाने की मंशा परिलक्षित होती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री झा द्वारा कार्य निष्पादन में वित्तीय अनियमितता की गयी है तथा लगातार उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है जो इनकी स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।

श्री झा के उपरोक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) का विपरीत हैं।

(रणजीत कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

(3) तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

(62)

1. श्री बिजेन्द्र झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बाँका द्वारा कार्य प्रमंडल, मधेपुरा में पदस्थापन अवधि में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत मधेपुरा विधानसभा अन्तर्गत अनुशंसित योजनाओं (वित्तीय वर्ष 2014–15) के कार्यों का लेखा/मापी पुस्त में कार्य को पूर्ण दर्शाते हुए लेखा समर्पित किया गया है, परन्तु, कार्य अपूर्ण है।

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सहरसा की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मधेपुरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निम्न तालिका में अंकित कुल पाँच योजनाओं के लिए ली गयी अग्रिम राशि 58,09,559.00 (अन्ठावन लाख नौ हजार पाँच सौ उनसठ) रूपये मात्र का लेखा समर्पित किया गया है, जबकि कार्य अपूर्ण है। इन योजनाओं से संबंधित मापी पुस्त में योजनाओं को पूर्ण दर्शाते हुए लेखा समर्पित किया गया है जिसपर संबंधित कनीय अभियंता श्री बिजेन्द्र झा एवं तत्कालीन सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर है।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक 948 दिनांक 16.07.1986 के प्रावाधान 7.6 में स्पष्ट किया गया है कि कार्यों की मापी तथा चेकिंग पूरी निष्ठा से क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा की जाय। इसमें पायी गयी कमियों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता मुख्य रूप से दोषी होंगे। अनधिकृत कार्य की मापी दर्ज करने के लिए मापी करने वाले पदाधिकारी दोषी होंगे और अनुशासनिक कार्यवाही के साथ–साथ सिविल लायबिलिटी के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

श्री झा, कनीय अभियंता का यह कृत्य मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक 948 दिनांक 16.07.1986 के प्रावाधान 7.6 एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम–276(ख) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किये गये है।

इनके द्वारा अबतक कार्य पूर्ण नहीं किये जाने वाली योजनाओं की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	कार्य का नाम	योजना वर्ष	प्राक्कलित राशि	श्री अक्षयवर राम, तत्कालीन सहायक अभियंता कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को दिया गया अस्थायी अग्रिम (तिथि सहित)	श्री राम के द्वारा समर्पित विपत्र की राशि	वर्तमान में बचे कार्य को पूरा करने हेतु श्री राम से वसूलनीय राशि
1	मधेपुरा नगर परिषद् अंतर्गत वार्ड नं0– 06 में ढ़लाई रोड से उत्तर कंचन कुमारी के निवास तक नाला एवं पी0सी0सी0 ढ़लाई कार्य।	2014–15	314000.00	298917.00 / 12.03.2015	298830.00	163917.00

2	मधेपुरा प्रखंड के बालम गढ़िया पंचायत अंतर्गत गढ़िया टोला अवस्थित मध्य विद्यालय के बगल में कलामंच का निर्माण कार्य।	2014–15	1086000.00	435235.00 / 25.02.2015 564689.00 / 14.10.2015	999804.00	208972.00
3	घैलाढ़ प्रखंड अंतर्गत रतनपुरा पंचायत के हरिराहा गाँव में महादलित ऋषिदेव टोला में राजेश कुमार के जमीन में सामुदायिक विकास भवन निर्माण कार्य।	2014–15	1265000.00	438664.00 / 12.03.2015 661336.00 / 01.10.2015	1100000.00	545367.00
4	मधेपुरा प्रखंड अंतर्गत रत्नेश नंदन महाविद्यालय बद्रीनगर मधुबन के प्रांगण में पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य।	2014–15	1496000.00	1474535.00 / 25.07.2015	1471229.00	743743.00
5	मधेपुरा प्रखंड अंतर्गत डॉ0 राममनोहर लोहिया उच्च विद्यालय साहुगढ़ के प्रांगण में पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य।	2014–15	1493000.00	476879.00 / 26.02.2015 997682.00 / 03.10.2015	1474552.00	600623.00
6	मधेपुरा नगर परिषद् वार्ड नं0 13 में डॉ0 रफीक के क्लिनिक से पश्चिम उत्तर के तरफ जानेवाली सड़क में पी0सी0सी0 ढ़लाई कार्य।	2014–15	606800.00	461622.00 / 21.03.2015	461450.00	461622.00 यह कार्य नगर परिषद मधेपुरा के द्वारा पूर्ण करा, दिया गया
Total				**5809559.00**	**5805865.00**	**2724244.00**

2. श्री बिजेन्द्र झा, तत्कालीन कनीय अभियंता के पत्रांक शून्य, दिनांक 22.02.2020 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी अग्रिम तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री अक्षयवर

राम से नहीं ली गयी है। अतः श्री राम द्वारा प्रस्तुत हस्त रसीद पर उनका फर्जी हस्ताक्षर किया गया है।

श्री झा, कनीय अभियंता के उपरोक्त तथ्य को यदि मान भी लिया जाय तो जैसा कि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक 1132 दिनांक 30.11.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि यदि श्री झा द्वारा राशि प्राप्त नहीं की गयी तो श्री झा, कनीय अभियंता द्वारा भाउचर पर Paid by me कैसे लिखा गया है। इसके अतिरिक्त श्री झा द्वारा यदि उधार पर सामग्री और मजदुरी भुगतान किया गया होता तो अभी तक उक्त कार्य में संलग्न आपूर्तिकर्त्ता एवं मजदुर द्वारा भुगतान हेतु आवेदन विभाग को जरूर दिया गया होता। परन्तु ऐसी किसी भी आवेदन के प्राप्त होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्र के साथ ही संलग्न बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री झा, कनीय अभियंता को राशि अंतरित की गयी है। अतएव श्री झा का अभिकथन संदेहास्पद है।

इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सहरसा की अध्यक्षता में गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित है कि श्री अक्षयवर राम, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा ली गयी संपूर्ण अग्रिम की राशि रू0 12,16,16,242/– (बारह करोड़ सोलह लाख सोलह हजार दो सौ बयालीस रूपया) तत्कालीन कनीय अभियंताओं को दे दी गयी है। दिये गये संपूर्ण अग्रिम में रू0 11,55,84,528/– (ग्यारह करोड़ पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ अट्ठाईस रूपया) समायोजित होने के बाद शेष राशि रू0 60,31,714/– (साठ लाख इकतीस हजार सात सौ चौदह रूपया) असमायोजित है। जिसमें से रू0 52,69,170/– (बावन लाख उनहत्तर हजार एक सौ सत्तर रूपया) तत्कालीन कनीय अभियंता श्री बिजेन्द्र झा के नाम लंबित है। जिसे दर्शाते हुए कार्यालय के पत्रांक 436 दिनांक 16.03.2021 द्वारा श्री झा, कनीय अभियंता का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

3. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सहरसा की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत मधेपुरा विधानसभा अन्तर्गत अनुशंसित योजनाओं (वित्तीय वर्ष 2014–15) के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्तमान में कुल रू0 27,24,244/– (सत्ताईस लाख चौबीस हजार दो सौ चौवालीस रूपया) की आवश्यकता प्रतिवेदित है, जो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है।

कार्य पूर्ण करने हेतु उपरोक्त राशि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ है जिसके लिए बिहार वित्त नियमावली के नियम– 34 के अनुसार श्री झा सीधे रूप से उत्तरदायी हैं।

4. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक 873 दिनांक 16.06.2022 एवं ज्ञापांक 960 दिनांक 04.07.2022 द्वारा मधेपुरा विधान सभा

क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान अपूर्ण योजनाओं से संबंधित अग्रिम राशि का समायोजन करने एवं वसूलनीय राशि जमा करने संबंधित निर्देश श्री बिजेन्द्र झा, कनीय अभियंता को दिया गया। परन्तु, कार्यपालक अभियंता, मधेपुरा के पत्रांक 1022 दिनांक 20.07.2022 द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उपरोक्त के आलोक में श्री झा, कनीय अभियंता द्वारा कोई आवश्यक कार्रवाई न कर कार्य प्रमंडल को भ्रमित/गुमराह किया गया है।

श्री झा का यह कृत्य बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम–247 का उल्लंघन है और अपने उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता को परिलक्षित करता हैं जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है।

श्री झा द्वारा वर्ष 2014–15 में विधान सभा क्षेत्र, मधेपुरा की योजनाओं को कपटपूर्ण तरीके से अपूर्ण छोड़ देने के कारण विधान सभा सत्रः 17 संत्र सं0–3 में तारांकित प्रश्न सं0– 785 के उत्तर में सन्निहित आवश्वासन लंबित है। श्री झा द्वारा उक्त योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक राशि की क्षतिपूर्ति नहीं किये जाने के फलस्वरूप योजनाएँ अबतक अपूर्ण है और सरकार को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए बिहार वित्त नियमावली के नियम–34 के अनुसार श्री झा सीधे उत्तरदायी है।

(रणजीत कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

(4) चतुर्थ भाग–(क) दस्तावेज की सूची
(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र0 सं0	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की सं0
1	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा का पत्रांक 1132 दिनांक 30.11.2021	02 (दो पृष्ठ)
2	श्री बिजेन्द्र झा, कनीय अभियंता का आवेदन पत्र (पत्रांक शून्य दिनांक 22.02.2020	01 (एक पृष्ठ)
3	श्री बिजेन्द्र झा, कनीय अभियंता का हस्त रसीद (दिनांक 30.10.2015)	01 (एक पृष्ठ)
4	श्री लक्ष्मी इन्टरप्राईजेज, मधेपुरा का टैक्स Invoice	01 (एक पृष्ठ)
5	प्रमाणक की छायाप्रति	01 (एक पृष्ठ)
6	संबंधित बैंक स्टेटमेन्ट	09 (नौ पृष्ठ)
7	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा संचिका में उपलब्ध हस्त रसीद के आधार पर सहायक अभियंता द्वारा कनीय अभियंता को दिया गया अग्रिम की तैयार की गयी विवरणी।	01 (एक पृष्ठ)
8	बिहार विधान सभा सचिवालय (राजकीय आश्वासन समिति का पत्रांक 1474 दिनांक 23.09.2021	03 (तीन पृष्ठ)
9	मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना का पत्रांक 389 दिनांक 24.02.2022	02 (दो पृष्ठ)
10	अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सहरसा का पत्रांक 49 (अनु0– जाँच प्रतिवेदन) दिनांक 15.02.2022	03 (तीन पृष्ठ)
11	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा का पत्रांक 52 दिनांक 13.01.2021	02 (दो पृष्ठ)
12	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा का पत्रांक 1211 दिनांक 29.09.2020	03 (तीन पृष्ठ)
13	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा का पत्रांक 1444 दिनांक 18.10.2022	591 (पाँच सौ इक्कानवे पृष्ठ)
	कुल	620 (छः सौ बीस पृष्ठ)

(ख) साक्षियों की सूची :–

नाम एव पदनाम :– श्री नसीम अख्तर, कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल, मधेपुरा।

(रणजीत कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना